भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: *294

दिनांक 08 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान कार्ड जारी करना और उनका उपयोग

†*294. डॉ. हेमांग जोशीः

श्री मुकेश राजपूतः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश भर में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को जारी किए गए आयुष्मान कार्डों की संख्या राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी है तथा शहडोल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में लाभार्थियों की कुल संख्या जिला-वार कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने विगत दो वर्षों के दौरान इस योजना के उपयोग में कोई वृद्धि देखी/दर्ज की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा देश के आकांक्षी जिलों और जनजातीय क्षेत्रों में अधिकतम कार्ड बनाए जाने और सेवा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार ने आयुष्मान कार्डों के उपयोग को बढ़ावा देने और लाभार्थियों को देश भर में सूचीबद्ध अस्पतालों में उपचार प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए कोई जागरूकता अभियान/कैम्पेन शुरू किया है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) विशेषकर चिक्कबल्लापुर सहित कर्नाटक में इस योजना के अंतर्गत जिलावार कुल कितने लाभार्थी सूचीबद्ध हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 08 अगस्त, 2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *294 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) सरकार की एक प्रमुख योजना है, जो भारत की आर्थिक रूप से कमज़ोर सबसे निचली 40% आबादी के 12 करोड़ परिवारों को मध्यम और विशिष्ट परिचर्या के लिए अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। अक्टूबर 2024 में, वय वंदना कार्ड के माध्यम से इस योजना का विस्तार 4.5 करोड़ परिवारों के 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को देखे बिना, कवर करने के लिए किया गया है।

एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत बनाए गए आयुष्मान कार्डों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है। शहडोल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों में बनाए गए आयुष्मान कार्डों की संख्या का विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

इस योजना के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, अस्पताल में भर्ती होने वालों की प्राधिकृत संख्या वित्त वर्ष 2023-24 में 1.98 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 2.42 करोड़ हो गई है।

एबी-पीएमजेएवाई के पास लाभार्थियों के अधिकारों और हकों के प्रति जागरूकता फैलाने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए एक व्यापक मीडिया और आउटरीच कार्यनीति है। इसमें समाचार पत्रों, सामुदायिक रेडियो, नुक्कड़ नाटकों, डिजिटल प्रदर्शनों, रेडियो अभियानों, जनसंदेश, दूरदर्शन के माध्यम से लाभार्थियों के प्रशंसापत्रों के प्रसारण आदि जैसे पारंपरिक मीडिया प्लेटफार्मों पर विज्ञापन शामिल हैं।

योजना के लाभार्थियों का मार्गदर्शन करने और उपचार करने वाले चिकित्सकों/परिचर्याकर्ताओं के साथ संपर्क स्थापित करके त्वरित उपचार संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए, पैनलबद्ध अस्पतालों में प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र (पीएमएएम) तैनात किए गए हैं। लाभार्थियों के लिए जागरूकता और समग्र सहायता प्रदान करने के लिए प्रथम संपर्क बिंदु के रूप में अस्पतालों में पीएमजेएवाई कियोस्क भी स्थापित किए गए हैं।

इसके अलावा, राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों ने अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, यानी आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) के व्यापक नेटवर्क को भी शामिल किया है, जो जमीनी स्तर पर व्यापक जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा, लाभार्थी किसी भी सहायता/प्रश्न के लिए 24x7 कॉल सेंटर (14555) पर कॉल कर सकते हैं।

आकांक्षी जिलों में एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत पैनलबद्ध अस्पताल प्रदान किए गए उपचार पर अतिरिक्त 10% प्रोत्साहन राशि के लिए पात्र हैं।

कर्नाटक राज्य में एबी-पीएमजेएवाई के तहत दिनांक 30.06.2025 की स्थिति के अनुसार 1.85 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं, जिनका जिलावार विवरण **अनुलग्नक-III** में है।

अनुलग्नक-I

<u>एबी-पीएमजेएवाई के तहत बनाए गए आयुष्मान कार्डों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण</u>

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**बनाए गए आयुष्मान कार्डों की संख्या**
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	80,093
आंध्र प्रदेश	1,61,70,534
अरुणाचल प्रदेश	1,61,828
असम	1,74,49,682
बिहार	3,91,99,682
चंडीगढ़	2,82,361
छत्तीसगढ़	2,37,31,624
दिल्ली	3,88,412
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	4,45,800
गोवा	94,511
गुजरात	2,82,88,362
हरियाणा	1,35,29,909
हिमाचल प्रदेश	14,10,402
जम्मू और कश्मीर	87,09,601
झारखंड	1,26,65,623
कर्नाटक	1,85,81,649
केरल	83,75,566
लद्दाख	1,96,591
लक्षद्वीप	36,563
मध्य प्रदेश	4,35,66,400
महाराष्ट्र	3,17,60,601
मणिपुर	6,82,035
मेघालय	20,81,597
मिजोरम	5,83,088
नागालैंड	7,48,095
ओड़िशा	3,46,19,714
पुदुचेरी	5,37,951
पंजाब	90,85,672
राजस्थान	2,25,93,582
सिक्किम	90,403
तमिलनाडु	81,69,255
तेलंगाना	83,26,118
त्रिपुरा	21,32,382
उत्तर प्रदेश	5,33,20,357
उत्तराखंड	60,39,029

नोट: आंकड़े दिनांक 30.06.2025 की स्थिति के अनुसार

अनुलग्नक-II

<u>शहडोल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत जिलों में बनाए गए आयुष्मान कार्डों की संख्या का विवरण</u>

जिला	**बनाए गए आयुष्मान कार्डों की संख्या**
शहडोल	7,24,116
अन्नूपुर	5,11,431
उमरिया	4,86,286
कटनी	6,93,260

नोट: आंकड़े दिनांक 30.06.2025 की स्थिति के अनुसार

अनुलग्नक-III

कर्नाटक राज्य में एबी-पीएमजेएवाई के तहत बनाए गए आयुष्मान कार्डों की संख्या का जिलावार विवरण

जिला	**बनाए गए आयुष्मान कार्डों की संख्या**
बागलकोट	6,55,043
बेंगलुरु शहरी	7,21,370
बेंगलुरु ग्रामीण	4,04,943
बेलगावी	16,49,036
बल्लारी	5,58,434
बीदर	4,41,136
विजयपुरा	6,67,417
चामराजनगर	4,45,881
चिक्कामगलुरु	5,19,187
चित्रदुर्ग	6,53,634
दक्षिण कन्नड़	6,63,266
दावणगेरे	6,74,759
धारवाड़	6,18,785
गडग	3,77,738
कालाबुर्गी	7,29,358
हसन	5,85,447
हावेरी	6,57,105
कोडागू	1,60,104
कोलार	4,74,884
कोप्पल	4,13,564
मंड्या	7,80,537
मैसूर	9,28,275
रायचूर	5,27,917
शिवमोगा	7,16,028
तुमकुरु	7,42,095
उडुपी	6,16,852
उत्तर कन्नड़	6,33,175
चिक्कबल्लापुर	4,78,659
रामानगर	4,04,159
यादगीर	2,76,105
विजयनगर	4,06,589

नोट: आंकड़े दिनांक 30.06.2025 की स्थिति के अनुसार

*****